



उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादुराबाद, हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो-बहादुराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADURABAD (HARIDWAR)-249402
E-mail : Registrar@usvv.ac.in Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक ५०९/प्रशासन/2023

दिनांक ०२ अगस्त, 2023

कार्यालय आदेश

मा. कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालयों में शास्त्री प्रवेश परीक्षा नियमावली सत्र 2020-21 के आधार पर अपने-अपने महाविद्यालयों में अपने स्तर से शास्त्री प्रवेश परीक्षा (गैर संस्कृत) की परीक्षा यथासमय सम्पन्न कराकर उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की सूची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान नवीन सत्र 2023-24 से शास्त्री पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के अनुरूप होगा। नवीन पाठ्यक्रम यथासमय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. उपकुलसचिव परीक्षा।
3. संयोजक, प्रवेश समिति।
4. संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे यथाशीघ्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के अनुसार नवीन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रचारित-प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।
5. उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बद्ध समस्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
6. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

शास्त्री प्रवेश परीक्षा संशोधित नियमावली सत्र 2021-22

(इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (None Sanskrit) छात्रों के लिये)

1. विगत वर्षों में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार एवं तत्सम्बद्ध महाविद्यालयों में कतिपय पारम्परिक विषयों में इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (None sanskrit) छात्र को शास्त्री प्रथम वर्ष में अस्थाई प्रवेश दिया जाता था और उन्हें शास्त्री प्रथम वर्ष के दौरान संस्कृत प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होती थी, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त किया जाता था। वर्तमान सत्र 2020-21 से इस नियम में विश्व विद्यालय द्वारा संशोधन कर दिया गया है।
2. इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (None sanskrit) छात्रों को शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिये इस नियमावली में उक्त नियमानुसार शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। जो छात्र प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे वही छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। आरक्षण का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्राओं को 5 प्रतिशत अंको की छूट प्रदान की जायेगी।
3. शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गैर संस्कृत छात्र/छात्रायें साहित्य, पुराणेतिहास, फलित ज्योतिष आदि समस्त पारम्परिक विषयों में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
4. शास्त्री प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले गैर संस्कृत छात्र/छात्राओं को विगत वर्षों की भाँति अलग से संस्कृत प्रमाण पत्र की परीक्षा नहीं देनी होगी।
5. प्रवेश परीक्षा में कृपांक की व्यवस्था नहीं होगी।
6. प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाने से लेकर परीक्षाफल प्रकाशित करवाने तक का सम्पूर्ण दायित्व महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग का होगा।
7. महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का एवं विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित समग्र प्रपत्रों का रख रखाव परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप करेगा।
8. शास्त्री प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रवेश आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व किया जायेगा।
9. प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होने के दिन से अधिकतम 7 दिन बाद विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अपने स्तर से परीक्षा परिणाम निर्गत करना होगा।
10. निर्धारित अवधि में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अपने प्रवेश प्रार्थना पत्र के साथ प्रवेश परीक्षा अंक पत्र एवं अन्य निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर सम्बन्धित विभाग में प्रवेश ले सकेंगे।
11. प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र निर्धारित तिथि की अवधि में ऑन लाईन / ऑफ लाईन निर्धारित शुल्क प्रपत्रों के साथ केवल प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे।

12. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके लिये छात्र स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. प्रवेश परीक्षा ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन होगी इसकी सूचना पृथक् से निर्गत होगी। सूचना प्राप्त क आवेदकों को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की वेबसाईड का अवलोकन करना होगा।
14. प्रवेश परीक्षा हेतु सभी नियम अन्य परीक्षाओं के समान होंगे।
15. प्रवेश परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है। परीक्षा में किसी भी की अनियमितता पायी जाने पर प्रवेश परीक्षा को निरस्त भी किया जा सकता है।
16. प्रवेश परीक्षा हेतु व्यय की जाने वाली धन राशि का वहन विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय द्व महाविद्यालय स्तर पर स्वयं महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
17. प्रवेश परीक्षा का परिणाम निर्गत होने के पश्चात् समस्त महाविद्यालय को प्रवेश परीक्षा परिणाम 15 अन्दर विश्वविद्यालयीय परीक्षा विभाग को प्रेषित करना होगा।

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

शास्त्री प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम

(इण्टर मीडिएट /10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, गैर संस्कृत (None Sanskrit) छात्रों के लिये)

पूर्णांक	-	100
समय	-	2 घण्टा
भाषा माध्यम	-	हिन्दी
प्रश्नों का प्रकार	-	अतिलघूत्तरात्मक
कुल प्रश्नों की संख्या	-	50
प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित अंक	-	2
उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के लिये	-	50
उत्तीर्णांक आरक्षित वर्ग के लिये	-	45

इकाई	पाठ्य विषय	अंक
1.	समसामयिक जानकारियों	20
2.	सामान्य ज्ञान - भारत के महान् शहीद, भारतीय आन्दोलन के दौरान दिये गये प्रमुख वचन व नारे, भारत की एतिहासिक लड़ाईयाँ, विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा, उत्तराखण्ड, संस्कृत जगत् ।	20
3.	विविध संस्थाओं के ध्येय वाक्य, शब्द रूप (बालक, बालिका, गुरु, नदी), धातुरूप (पठ्, गम् लिख् भू के लट् लोट् लङ् लकारों में)	20
4.	भारतीय सँविधान का सामाय ज्ञान, वैज्ञानिक उपकरण, यन्त्रों व उपकरणों के आविष्कार, कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान, चिकित्सा सम्बन्धी आविष्कार।	20
5.	भाषा ज्ञान- संस्कृत, हिन्दी, अँग्रेजी	20